उत्तराखण्ड शासन,
आवास विभाग,
पत्रांक–697/V-1/41(आ0)2011
देहरादून : दिनांक 06 नवम्बर, 2015

अधिसूचना संख्या 465/V-1/41(आ0)2011 दिनांक 06,नवम्बर, 2015 द्वारा प्रख्यापित नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के समूह 'क' एवं 'ख' की नियमावली की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव/सचिव कार्मिक/वित्त/न्याय एवं गोपन, उत्तराखण्ड शासन।
3. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे इस अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करकार 50 प्रतियां आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराये।
4. निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

2432
17/11/2015

C:\Users\acer\Desktop\step\service rule group A and B in hindi - final for cabinet.doc

<u>संख्या एवं तिथि तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषि..।

1 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
2 जिलाधिकारी, देहरादून।
3 वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
4 मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5 गार्ड फाइल।

अ

(प्रेम

अ

C:\Users\acer\Desktop\dobhal\r-letter15.doc.doc

उत्तराखण्ड शासन,
आवास विभाग,
पत्रांक–465/V-1/41(आ0)2011
देहरादून : दिनांक 06 नवम्बर, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तथा इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग समूह– 'क' एवं 'ख' सेवा नियमावली, 2015

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1– (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, समूह–'क' एवं 'ख' सेवा नियमावली, 2015 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2– उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन सेवा एक राज्य सेवा हैं जिसमें समूह– 'क' और 'ख' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें 3– जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राज्यपाल अभिप्रेत हैं।

(ख) "मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक" का तात्पर्य मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड से है।

(ग) "भारत का नागरिक" उस व्यक्ति से अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग–2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाता हैं,

(घ) "आयोग" का तात्पर्य उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से है,

(ङ) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत हैं,

(च) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है

(छ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत हैं,

(ज) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत हैं,

(झ) "सचिव" का तात्पर्य सरकार के सचिव, आवास विभाग से है,

(ञ) "सेवा" से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में राजपत्रित सेवा अभिप्रेत हैं,

(ट) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से अभिप्रेत हैं, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो,

(ठ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से अभिप्रेत है।

भाग– दो –– सवंर्ग

सेवा का संवर्ग 4– (1) सेवा की सदस्य संख्या एवं उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी राज्य ..ल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य–संख्या एवं उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी इस नियमावली के **परिशिष्ट "क"** पर अंकित हैं।

परन्तु –

(क) राज्यपाल किसी रिक्त पद को स्थगित रख सकते हैं या नियुक्ति प्राधिकारी उसे बिना भरे हुए छोड़ सकता है जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(ख) राज्यपाल समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझे।

भाग– तीन — भर्ती

भर्ती का स्रोत 5– (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

पद का नाम	**भर्ती का स्रोत**
<u>समूह "क"</u>	
(1) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ नियोजको में से जिन्होंने चयन वर्ष की प्रथम तिथि को इस रूप में 05 वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण की हो, श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
(2) वरिष्ठ नियोजक	मौलिक रूप से नियुक्त सहयुक्त नियोजकों में से जिन्होंने चयन वर्ष की प्रथम तिथि को इस रूप में कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
(3) सहयुक्त नियोजक	मौलिक रूप से नियुक्त सहायक नियोजक/सहायक वास्तुविद नियोजक में से जिन्होंने सहायक नियोजक/सहायक वास्तुविद नियोजक (पोषक पद) के पद पर कम से कम 07 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
<u>समूह "ख"</u>	
(4) सहायक नियोजक* / सहायक वास्तुविद नियोजक	(एक)– 75 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, और (दो)– 25 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी वास्तुविद एवं नियोजन सहायकों में से, जिन्होने चयन वर्ष की प्रथम तिथि को इस रूप में कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

* "**सहायक नियोजक**" में ऐसे "**सहायक नगर नियोजक**", जो विभाग में इस नियमावली से पूर्व भर्ती हुये हों, भी अभिप्रेत हैं।

(5) सहायक अभियन्ता — मौलिक रूप से नियुक्त अवर अभियन्ता / संगणक में से, जिन्होंने चयन वर्ष की प्रथम तिथि को इस रूप में कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण की हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार कर, ज्येष्ठता के आधार पर, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(6) संख्याधिकारी — मौलिक रूप से नियुक्त सांख्यकीय सहायकों में से, जिन्होंने चयन वर्ष की प्रथम तिथि को इस रूप में 08 वर्ष की निरन्तर सेवा की हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6– उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग– चार — अर्हतायें

राष्ट्रीयता

7– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी –

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसनें भारत में स्थयी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केनिया, युगांडा और संयुक्त तांजानिया गण्राज्य(पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवजन किया हो परन्तु, उक्त श्रेणी(ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो। परन्तु यह और कि श्रेणी(ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी(ग) से सम्बन्धित है प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी : जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न ता उसे जारी किया गया हो और ना ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

शैक्षिक अर्हतायें

8– सेवा में केवल समूह 'ख' के पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास **परिशिष्ट–'ख'** मे दी गयी शैक्षिक अर्हतायें और अनुभव हो।

अधिमानी अर्हतायें

9– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने–

1– प्रान्तीय सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो।

2– नेशनल कैडट कोर 'बी' अथवां 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

.......4

आयु 10– सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किए जाते हैं, तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किए जाते है तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए, परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र 11– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी : संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अद्यमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 12– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो :

परन्तु यदि सरकार को समाधान हो जाये की ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक योग्यता 13– किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। ऐसे अभ्यर्थी को, जो पहले से सरकार की स्थायी सेवा में न हो, अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उसे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा में सफल पाया जाय :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये व्यक्ति से स्वास्थ्यता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

–5–

भाग– पॉच–– भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों की अवधारणा

14– नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम– 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। और आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रकिया

15– (1) चयन के लिए विचार करने हेतु आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन मंगाये जायेंगे। आवेदन प्रपत्र भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किए जा सकेंगे।

(2) नियम– 6 के अधीन अनुसूचित जातिं, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा अपेक्षित अर्हतायें पूरी करने वाले उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायाा जायेगा जितने वह उचित समझे।

(3) आयोग प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों द्वारा से प्रकटित प्रवीणता के कम में सूची बनायेगा। यदि दो उससे अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते है तो आयोग उनके नाम सेवा के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर, उनके गुणानुक्रम के आधार पर क्रमांकित किये जायेंगे। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकि

<u>लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के पदों पर</u>

16(1)–भर्ती चयन द्वारा एक विभागीय चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसका गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा:–

(क) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पद के लिए–

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	—	अध्यक्ष
2– सचिव, कार्मिक विभाग	—	सदस्य
3– सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव	—	सदस्य

(ख) अन्य पदों के लिए–

1– प्रमुख सचिव/ सचिव, आवास विभाग	—	अध्यक्ष
2– प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन या उनके द्वारा निर्दिष्ट एक व्यक्ति जो, उत्तराखण्ड सरकार के अपर सचिव स्तर से निम्न ना हो।	—	सदस्य
3– विभागाध्यक्ष	—	सदस्य

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों की, वरिष्ठता कम में एक सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनके सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(घ) चयन समिति उप नियम(1) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(ड.) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों का नाम नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

लोक सेवा आयोग की परिधि के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

16– (2)लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत आने वाले पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथा संशोधित "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयन्नोनति (प्रकिया) नियमावली 2003 के अनुसार की जाएगी।

संयुक्त चयन सूची

17– यदि किसी वर्ष विशेष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

...6

भाग- 6 — नियुक्ति, परिवीक्षा और स्थायीकरण

नियुक्ति

18– (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी कम में लेकर जिसमें वे नियम–15(2)एवं 15(3) यथास्थिति के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी वर्ष भर्ती नियुक्तियॉं सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोंतो से चयन न किया गया हो और नियम– 17 के अनुसार संयुक्त सूचियां तैयार न की गयी हों।

(3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस कम में, यथास्थिति, जिस कम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नति किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय तो नाम नियम– 17 में निर्दिष्ट चकीय कम में कमांकित किये जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उप नियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में नियुक्ति कर सकता है। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जायेगी और जहाँ पद आयेगा के क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो, वहाँ उत्तराखण्ड, लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 के प्राविधान लागू होंगे।

परिवीक्षा

19–(1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे:

परन्तु उपबन्ध यह है कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3)यदि नियुक्ति प्रधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किय गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप से प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण

20– परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि उसने–

(क) विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई है, उर्त्तीण कर ली हो;

(ख) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई है, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो;

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है; तथा

(ड.)नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

...7

ज्येष्ठता

21–(1) किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित) नियमावली, 2002 (समय–समय पर संशोधित) के अनुसार किया जायेगा।

भाग– सात— वेतन इत्यादि

वेतनमान

22– (1) सेवा में विभिन्न श्रेणीयों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुज्ञय वेतनमान वह होगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट "क" में दिये गये है।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23– (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहाँ विहित हो, समयमान में पृथक वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी:

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति क वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यो से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग – आठ — अन्य उपबन्ध

अधियाचन

24– किसी पद पर या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के आयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

25– ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यो से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा की शर्तो में शिथिलीकरण–

26– यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्ते विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तो के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।

परन्तु उपबन्ध यह है कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है, वहाँ नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा।

व्यावृत्ति

27– इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

परिशिष्ट "ख"		
क0 सं0	पद का नाम	शैक्षिक अर्हतायें और अनुभव
1–	सहायक नियोजक	किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से नगर एवं क्षेत्रीय नियोजन/ अर्बन प्लानिंग/ रीजनल प्लानिंग/ ट्रेफिक एण्ड ट्रान्सपोर्ट प्लानिंग/ हाउसिंग में स्नातकोत्तर उपाधि/ एम0 टेक अथवा इनके समकक्ष शैक्षिक योग्यता **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त संस्था /विश्वविद्यालय से बैचलर इन प्लानिंग/बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्लानिंग अथवा इनके समकक्ष शैक्षिक योग्यता के साथ केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार/ केन्द्र शासित प्रदेश/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त संस्था अथवा पब्लिक सेक्टर अण्डर टेकिंग अथवा अर्द्धशासकीय संस्थानों में नगर एवं क्षेत्रीय नियोजन के कार्य में तीन वर्ष का अनुभव। **अथवा** 2– निम्नलिखित संस्थाओं में से कम से कम एक संस्था की निगमित सदस्यता– क– इन्स्टिटयूट आफ टाउन प्लानर्स (इण्डिया) ख– अमेरिकन इन्स्टिटयूट आफ टाउन प्लानर्स ग– रॉयल इन्स्टिटयूट आफ टाउन प्लानर्स (लंदन)
2–	सहायक वास्तुविद नियोजक	1–किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से बी0आर्च **तथा** 2– किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से नगर एवं क्षेत्रीय नियोजन/ अर्बन प्लानिंग/ रीजनल प्लानिंग/ ट्रेफिक एण्ड ट्रान्सपोर्ट प्लानिंग/ हाउसिंग में स्नातकोत्तर उपाधि/ एम0 टेक अथवा इनके समकक्ष शैक्षिक योग्यता

परिशिष्ट 'क'

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के नवसृजित पुर्नगठन में स्वीकृत समूहवार पदों की सदस्य संख्या एवं वेतनमान

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वेतनमान
	समूह "क"		
1	मुख्य नगर और ग्राम नियोजक	01	37400–67000 ग्रेड वेतन–8900
2	वरिष्ठ नियोजक	02	15600–39100 ग्रेड वेतन–7600
3	सहयुक्त नियोजक	03	15600–39100 ग्रेड वेतन–6600
	समूह "ख"		
4	सहायक नियोजक / सहायक वास्तुविद नियोजक	07	15600–39100 ग्रेड वेतन–5400
5	सहायक अभियन्ता	01	15600–39100 ग्रेड वेतन–5400
6	संख्याधिकारी	01	15600–39100 ग्रेड वेतन–5400